अपील सूचना अधिकार संख्या 33/2019 (RCMS 2019/00105) श्री इमीचन्द पुत्र कानाराम जाति कुम्हार गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर जिला श्रगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी (भू.अ.), रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.11.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री इमीचंद स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री इमीचन्द ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.03.2019 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायहिसंनगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

> खातेदार – गोरा देवी पत्नि उदाराम कौम जाट साकिन खाटां चक 33 पी एस, मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 1 ता 25 की आवंटन की मूल पत्रावली की प्रमाणित सूदा नकल

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में **उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर** ने अपने पत्रांक सूकाअ/19/1973 दिनांक 22.03.2019 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गोरादेवी पत्नी उदाराम जाति जाट निवासी खाटां को चक 33 पीएस के मु.नं. 57 की मूल आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति चाही है। आप द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित प्रकरण संख्या व निर्णय की दिनांक से अवगत करावें ताकि आप द्वारा चाही गई सूचना का रिकॉर्ड तलाश कर उपलब्ध करवाया जा सके।
>
> -sd-
> उप जिला कलक्टर
> रायसिंहनगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का उसकी सूचनाओं के सम्बन्ध में उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थी वांछित जानकारी लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत कर उपलब्ध रिकॉर्ड से सूचना प्राप्त कर सकता है।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के अनुसार निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर